माननीय न्यायधीश आर.पी. नागराथ जी

उधम सिंह - याचिकाकर्ता

बनाम

तेजबीर सिंह और अन्य - प्रतिवादी

2015 की सीआर संख्या 324

14 जनवरी, 2015

कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 - यथामूल्य शुल्क - नाबालिग द्वारा हस्ताक्षरित बिक्री विलेख - हस्ताक्षर धोखाधड़ी से प्राप्त किए जाने का आरोप - बिक्री विलेख याचिकाकर्ता के मामले से बेहतर आधार पर अभिभावक के माध्यम से नाबालिग की ओर से निष्पादित - याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 7 (iv) (सी) के तहत अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा, न कि अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद 17 (iii) के तहत, जैसा कि दावा किया गया है। चूँकि यह विक्रय विलेख के गैर-निष्पादक के मामले में लागू होता है - याचिका खारिज कर दी गई। माना गया कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि उक्त मामले में अभिभावक के माध्यम से नाबालिग के लिए विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था, लेकिन यहां एक मामला है जहां विक्रय पत्र पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की बात कही गई है। मेरा विचार है कि अभिभावक के माध्यम से निष्पादित विक्रय विलेख का उदाहरण वर्तमान मामले की तुलना में बेहतर स्तर पर है, जहां विक्रय विलेख पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर हैं, जिसे अन्यथा धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किया गया माना जाता है। (पैरा 6)

एसएस नारा, याचिकाकर्ता के वकील

माननीय न्यायधीश आर. पी. नागरथ जी

(1) तत्काल याचिका में चुनौती ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 08.08.2014 के आदेश को है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को विवादित बिक्री के विचार पर यथामूल्य अदालत शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। विलेख दिनांक 28.12.2007.

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि यद्यपि याचिकाकर्ता विक्रय पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता है लेकिन वह उस समय नाबालिग था। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता-वादी की जन्म तिथि 24.11.1991 है और उस समय उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष और एक माह थी। आगे यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए थे। विचाराधीन विक्रय विलेख के अन्य निष्पादक हैं; याचिकाकर्ता की मां, दादी और चाचा।

(3) मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है, आक्षेपित आदेश और पेपर-बुक का अवलोकन किया है।

(4) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील सुहरिद सिंह उर्फ सरदूल सिंह बनाम रणधीर सिंह और अन्य1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं, जिसमें यह माना गया था कि यदि बिक्री विलेख के गैर-निष्पादक द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है, वादी को `19.50 प्रति माह की राशि का न्यायालय शुल्क

अदा करना होगा। न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की दूसरी अनुसूची के अनुच्छेद 17 (iii) के तहत, न कि न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7(iv)(सी) के तहत।

(5) मौजूदा मामले के समान विवाद पर इस न्यायालय द्वारा सोमबीर सिंह बनाम खुजानी देवी और अन्य 2 में विचार किया गया है, जहां अभिभावक के रूप में मां के माध्यम से नाबालिग की ओर से बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था। उस मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"6. मैंने उपरोक्त तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार किया है, लेकिन उसमें कोई दम नहीं पाया। वास्तव में, सुहृद सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ जाता है। उस निर्णय में यह माना गया है कि यदि विक्रय विलेख का निष्पादक इसे चुनौती देता है, तो उसे विक्रय विलेख में उल्लिखित प्रतिफल पर यथामूल्य न्यायालय शुल्क का भुगतान करना होगा। वर्तमान मामले में, आक्षेपित विक्रय विलेख याचिकाकर्ता-वादी के नाम पर निष्पादित किया गया है, हालाँकि उसकी अभिभावक के रूप में उसकी माँ के माध्यम से, क्योंकि याचिकाकर्ता-वादी उस समय नाबालिग था। हालाँकि, तथ्य यह है कि बिक्री विलेख स्वयं याचिकाकर्ता की ओर से निष्पादित किया गया है। नतीजतन, याचिकाकर्ता विचाराधीन बिक्री कार्यों का निष्पादक है और यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की मां बिक्री कार्यों की निष्पादक है और याचिकाकर्ता उसका निष्पादक नहीं है। नतीजतन, सुहृद सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद याचिकाकर्ता को विवादित बिक्री कार्यों में बताए गए विचार पर यथामूल्य अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा। इसलिए, निचली अपीलीय अदालत के आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है। जहां तक दारा सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का सवाल है, सुहृद सिंह (सुप्रा) के मामले में केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को उद्धृत किया गया है और इसमें और कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। कानून या मिसाल के सिद्धांत का तरीका. नतीजतन, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों पर भरोसा करने के मद्देनजर, यह नहीं कहा जा सकता है कि निचली अपीलीय अदालत के आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता है। दूसरी ओर, निचली अपीलीय अदालत के आक्षेपित आदेश को सुहृद सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पूर्ण समर्थन मिलता है, जैसा कि दारा सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा किया गया था।

1 (2010) 12 एससीसी 112 22010 (4) लॉ हेराल्ड 2860

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि उक्त मामले में विक्रय विलेख अभिभावक के माध्यम से नाबालिग के लिए निष्पादित किया गया था, लेकिन यहां एक मामला है जहां विक्रय विलेख पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की बात कही गई है। मेरा विचार है कि अभिभावक के माध्यम से निष्पादित विक्रय विलेख का उदाहरण वर्तमान मामले की तुलना में बेहतर स्तर पर है, जहां विक्रय विलेख पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर हैं, जिसे अन्यथा धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किया गया माना जाता है।

(7) उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे लगता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश काफी सही है और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

(8) बर्खास्त.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा।

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा

एस गुप्ता